

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)
संसदीय शाखा,
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 47


राजस्व विभाग

दिनांक 29.07.2021

प्रश्नकर्ता का नाम : माननीय विधायक श्री धर्मपाल लाकड़ा जी
क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली में डीडीए द्वारा 89 गांवों को शहरीकृत घोषित किये जाने के बाद कोई विकास कार्य नहीं हुआ है;	राजस्व विभाग से संबंधित नहीं है।
ख)	यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;	
ग)	क्या यह भी सत्य है कि इन गांवों में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसकी जमीन-जायदाद उसके उत्तराधिकारियों के नाम करने में बहुत दिक्कत आती है; और	इस सम्बन्ध में नीतिगत निर्देश उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण शहरीकृत गाँव के राजस्व अभिलेख में दाखिल-खारिज बंद है।
घ)	यदि हां, तो इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?	

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।


28/7/2021

(अनुज कुमार भारती)
उपमण्डलीय दण्डाधिकारी-5 (मु०)

ANUJ KUMAR BHARTI
SDM (HQ)-V
Revenue Department
Govt. of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg, Delhi-54